

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)नियमितिकरण/अलेसे-III

दिनांक :-

आदेश संख्या: 142 / 2014-15

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के वर्ष 2008 के बैच के निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार जिन्हें दो वर्ष के परिवीक्षा प्रशिक्षण काल पर नियुक्ति दी गई थी, को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम- 1963 के नियम- 34 के अन्तर्गत दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्ण पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख कालम से अंकित तिथि से स्थाई किया जाता है :-

क्र.सं.	लिंक नं०	मेरिट नं०	नाम कनिष्ठ लेखाकार	जन्म तिथि	कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्य ग्रहण तिथि	परिवीक्षा प्रशिक्षण काल पूर्ण करने की तिथि	स्थाई करण तिथि	विशेष विवरण
1.	9307	31	श्रीमती कविता जसोरिया	08.09.85	16.08.12	15.08.14	16.08.14	
2.	9236	83	श्री रवि शर्मा	08.12.79	25.05.12	24.05.14	25.05.14	
3.	9229	75	श्री मनोज कुमार	06.06.83	28.05.12	27.05.14	28.05.14	
4.	9273	125	श्रीमती सुनीता मीणा	30.10.79	26.05.12	25.05.14	26.05.14	
5.	9251	100	सुश्री शीतल सैनी	11.04.84	25.05.12	24.05.14	25.05.14	

उक्त क० लेखाकारों को स्थाईकरण तिथि से पे बैण्ड 9300-34800 में मूल वेतन 12900 (9300 + 3600 ग्रेड पे) एवं नियमानुसार भत्ते देय होंगे।

कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियमित रूप से सेवारत रहे कर्मियों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के नोटिफिकेशन एफ. 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 के बिन्दु 03(iv) के निर्देशानुसार राजस्थान सेवा नियम 26 के अन्तर्गत किया जावेगा।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)नियमितिकरण/अलेसे-III/170-182

दिनांक :- 06.02.2015

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
3. उप निदेशक, (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. निजी सहायक, निदेशक महोदय।
5. श्री क० लेखाकार, कार्यालय

(जसवन्त सिंह)